क्रमांक-एनओसी/नोटिफिकेशन/गाईड लाईन/24/03/एम-
भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भोपाल मण्डल

4200 22/6/10

भोपाल, दिनांक -06-2010

प्रति,
जिलाध्यक्ष
जिला ....सिहोर
मध्यप्रदेश

विषय- मध्यप्रदेश स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं उनकी सुरक्षा विषयक।

संदर्भ- इस कार्यालय पत्र क्रमांक-एनओसी/नोटिफिकेशन/गाईड लाईन/24/03-एम-427 से 526, दिनांक 10-04-2010

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आपको राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा से 300 मीटर चतुर्दिक दूरी तक किसी भी प्रकार का नव निर्माण, अतिक्रमण, खनन आदि न होने देने विषयक पुरातत्वीय नियमों का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण भारत के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के 300 मीटर की चतुर्दिक सीमा के अन्तर्गत अवैध नव निर्माण एवं खनन आदि को और अधिक कारगर रूप से रोकने हेतु प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 से अवगत कराते हुए उसकी छायाप्रति आपकी ओर यहाँ संलग्न की गई थी।

इसी तारतम्य में आपसे निवेदन किया गया था कि भारत सरकार के उक्त प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें। आपसे यह भी निवेदन किया था कि आपके जिले में स्थित नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा ग्राम एवं नगर पंचायतों को स्पष्ट आदेश प्रसारित करने की भी कृपा करें कि नव निर्माणों की स्वीकृति देते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उस भूमि पर प्रस्तावित भवन/निर्माण/खनन कार्य कहीं किसी राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक से 300 मीटर की सीमा के अन्दर तो नहीं किया जा रहा है यदि भवन निर्माण का प्रस्ताव निषिद्ध क्षेत्र अर्थात स्मारकीय सीमा से 100 मीटर के अन्तर्गत है तो उन्हें अपने स्तर से ही तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिये तथा उसके पश्चात् 200 मीटर के क्षेत्र मे निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। यहाँ यह भी लेख है कि इस विषयक इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक-3043 से 3162, दिनांक- 5-06-2010 द्वारा सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायतों को भी उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न करते हुए उनसे भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा से 300 मीटर चतुर्दिक किसी भी प्रकार के भवन/ नव निर्माण/ खनन की अनुमति न जारी करने हेतु निवेदन किया जा चुका है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त नवीन अधिनियम के अनुपालन के सम्बन्ध में आपके जिले के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न कर आपसे पुनः निवेदन है कि उक्त अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के 300 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नव निर्माण की अनुमति न देने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि संसद द्वारा पारित उक्त अधिनियम का सही तरीके से परिपालन किया जा सके।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(श्याम रमन गुप्ता)

अधीक्षण पुरातत्वविद् (प्रभारी)

S.No.	Name of Monuments/ Sites	Location				Gazette Notification No. & Date		Details of owner-ship
		Locality	Tehsil	District	State	Preliminary	Final	
01	Saru-Maru monastic complex alongwith comprised area	Panguraria	Budhani	Sehore	M.P.	So No. 1368, 3/4/1982	SO 1742, 21/3/1983; Pub 2/4/1983	Forest M.P. Govt.
02	Painted rock shelters, two Buddhist stupas and other remains	Talpura	Budhani	Sehore	M.P.	SO No. 454, 21/1/1982; Pub 6/2/1982	Case is being sent for final Notification.	Forest M.P. Govt.

कार्यालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर म0प्र0

=-=-=-=

क्रमांक 4579 /एस0सी0-2/10 सीहोर दिनांक 20 /7/10

प्रति,

पुलिस अधीक्षक, सीहोर

अनुविभागीय अधिकारी, (समस्त)

2. खनिज अधिकारी सीहोर

3.

विषय:- म0प्र0 स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं उनकी सुरक्षा विषयक ।

::::

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीक्षण पुरातत्व विद (प्रभारी) भारत, सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल से प्राप्त पत्र क्रमांक एन. ओ. सी./ नोटिफिकेशन /गाइड लाईन /24/03 /एम दिनांक ---/6/10 प्राप्त दिनांक 16-7-10 पत्र/सहपत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है ।

पत्र में दिये गये निर्देशानुसार सीहोर जिले में स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों को अतिक्रमण मुक्त करने व उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुनिश्चित की जाने हेतु प्रेषित ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर सीहोर

पृ0क्र0-------/एस0सी0-2/10 सीहोर दिनांक /7/10

प्रतिलिपि:- अधीक्षण पुरातत्व विद (प्रभारी) भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित । तत्संबंध में पूर्व में ही अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 4955/सं0 10 /30 दिनांक 11-3-10 के संदर्भ में दर्शित अनुसार कार्यवाही की गई छायाप्रति संलग्न है ।

2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सीहोर-सीहोर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर सीहोर